विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। –महात्मा गाँधी

वोट देने का अधिकार और फ्रीबीज

अधिकार कई तरह के होते हैं। इन्हें हम चार श्रेणियों में ले सकते हैं। (1) मूल अधिकार (2) संवैधानिक अधिकार (3) कानून प्रदत्त अधिकार व (4) प्राकृतिक अधिकार। मूल अधिकार वे हैं, जिन्हें संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। संविधान ने हमें, हम लोगों ने हम लोगों के लिये राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय देने की व्यवस्था की है। मूल अधिकार राजनीतिक न्याय देने का प्रतिफल है। अनुच्छेद 14 के द्वारा समता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 15 धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्रय का संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 21 में गरिमामय जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 व 21क में शिक्षा का मूल अधिकार है। कोई भी अप्रिय निर्णय लेने से पहले सुनवाई का निर्णय प्राकृतिक न्याय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् मतदान का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह व्यवस्था है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर है। प्रारम्भ में 21 वर्ष के भारतीय को मतदान का अधिकार दिया गया था और संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 में 21 के स्थान पर 18 वर्ष को प्रतिस्थापित किया गया। संविधान के अनुच्छेद में स्पष्ट घोषित किया गया कि मतदान का यह अधिकार लिंग, जाति, धर्म, वर्ग कुछ भी हो प्रत्येक भारतीय को मतदान का अधिकार है (वोट देने का अधिकार है)। प्रत्येक भारतीय को जो 18 वर्ष का है उसे मताधिकार का प्रयोग करने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अवसर दिया गया है।

भारत के संविधान की विशेषता है कि यहां मतदान के लिये स्त्री व पुरूर्ष में कोई भेद नहीं है। भारत में महिलाओं को इंग्लैण्ड व अन्य कई यूरोपियन देशों से पहले मतदान का अधिकार दिया गया है।

वोट देने के अधिकार की लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रान्तीय परिषदों को यह निर्धारित करने की अनुमति दी गई कि वे निर्णय करें कि क्या महिलायें मतदान कर सकती हैं? यह शर्त रखी गई कि मतदान का अधिकार उन्हें उस समय मिले जब उनके पास सम्पत्ति हो, पढ़ी लिखी हों और उनकी आय का साधन हो। 1919 से 1929 तक कई राज्यों में महिलाओं को वोट का अधिकार था। 1920 में झालावाड़ के राज्य में वोट का अधिकार था। यह माना गया था कि मनु स्मृति के अनुसार महिला पढ़ी लिखी नहीं हो सकती थी। बाद में सोच में परिवर्तन आया और महिला को वोट देने के हेतु 8वीं पास आवश्यक माना गया। 1935 से 1947 तक इस सोच पर चर्चा होती रही। संविधान निर्मात्री सभा ने बाबा साहब अम्बेडकर की अपील पर सभी शर्तें समाप्त की और 21 वर्ष की आयु होने पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया जो वर्तमान में 18 वर्ष हो गया है। दुर्भाग्य की बात है कि मतदान हेतु शिक्षा की कोई भी शर्त पुरूष व स्त्री मतदाता के हेतु आज भी नहीं है। समय की पुकार है कि मतदान के हेतु संवैधानिक अधिकार के हेतु शिक्षा की शर्त अनिवार्य किया जावे। स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो जाने पर भी हमारी विधानसभा में व लोकसभा में आज भी बिना पढ़े लिखे लोग हैं। उसका परिणाम है कि हमारे कानून त्रुटिहीन नहीं बन पाते हैं।

देश को अपने संविधान पर गर्व है। संविधान में भाग 4क जोड़ा जाकर 1976 में संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 से भारतीयों के लिये मूल कर्त्तव्य निर्धारित किये। यहां भी चूक हो गई कि जो नागरिक अपने मूल कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता पाया जावे, उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। देश में कहीं न कहीं आन्दोलन होते रहते हैं और इन आन्दोलनों में रेल्वे लाईन व सड़क की तोड़फोड़ अधिक होती है, जबकि मूल कर्त्तव्य में अपेक्षा की है कि देश का प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखेगा और हिंसा से दूर रहेगा (देखिये अनुच्छेद 51(प))। यदि चुनाव कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह शर्त धारा 123 में जोड़ दी जावे कि सड़क तोड़ना व रेल्वे लाईन को तोड़ना या रेल्वे की व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना भ्रष्ट आचरण माना जावेगा और इसे सिद्ध माने जाने पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित किया जावेगा तो जनता में निःसंदेह अनुशासन आयेगा और वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। आज तो कोई भी घटना हुई और रोड़ ब्लॉक कर दी जाती है और रेलों का आवागमन रोक दिया जाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुये कानून में उचित संशोधन की आवश्यकता है। प्रथम तो विधायक व सांसद बनने के लिये बी.ए. तक की शिक्षा अनिवार्य हो और दूसरा मूल कर्त्तव्य की पालना न करने वाले को चुनाव में खड़ा होने से वंचित किया जावे इसके लिये केन्द्र व राज्य सरकार नियम बना सकती हैं।

चुनाव के समय मतदाताओं को रिझाने के लिये, उनका वोट प्राप्त करने के हेतु फ्रीबीज का सहारा लिया जाता है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, जहां अपेक्षा की जाती है कि चुनाव सात्विक हो और चुनाव अपराध घटित न हो। चुनाव में मतदान करना संवैधानिक अधिकार है। मतदान कैसे हो इस संबंध में पूरी प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में दी गई है।

इन दिनों दिल्ली के चुनावों में फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों का जो वितरण किया गया या उनका वायदा किया वह लोकतंत्र के लिये शर्म का विषय है। प्रारम्भ में केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी से इसका प्रारम्भ किया अब तो यह केश ग्रान्ट व कई प्रकार की सुविधाओं तक पहुंच चुका है। अब तो बीजेपी व कांग्रेस भी इसी मार्ग पर आ गई हैं। इसका यह असर होने जा रहा है/ हो रहा है कि राज्य कर्जा ले रहे हैं, उसे चुकाने में सर्वथा असमर्थ ही नहीं हो रहे हैं अपितु कर्जे के ब्याज को चुकाने के लिये भी कर्जा ले रहे हैं। भारत के पड़ोसी कई देश दिवालिया हो चुके हैं या उसकी कगार पर हैं। यदि भारत में यही स्थिति रही तो भारत के विकास की गति रूक जावेगी। उसका तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने का सपना टूट जावेगा।

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में धर्म के नाम की लड़ाई पहले हो चुकी है अब जाति की लड़ाई है। मतदाताओं में स्त्री मतदाता व पुरूष मतदाता है। बुजुर्ग मतदाता है। ब्राह्मण मतदाता हैं। पुजारी व ग्रन्थी मतदाता है। मुस्लिम व दलित मतदाता है। ऑटो चालक है। मकानों में रहने वाले किरायेदार है। केजरीवाल ने प्रत्येक महिला मतदाता को 2100/-रूपये प्रतिमाह देने का वायदा किया है, 'आप' को वोट दो और उपहार लो। कांग्रेस व बीजेपी इससे भी अधिक केश देने को तैयार हैं। 16 प्रतिशत बुजुर्गों के लिये स्वास्थ्य योजना है। केजरीवाल दलितों के बच्चों को पढ़ाई के लिये विदेश भेजने का तैयार है। केजरीवाल मतदाता पुजारियों व ग्रन्थियों को 18000/-रूपये प्रतिमाह देने का वायदा कर रहे तो बीजेपी इससे अधिक कैश ग्रान्ट 2500/-रूपये देने को तत्पर है। वस्तुतः सभी राजनीतिक पार्टियां फ्रीबीज की पिच पर बेटिंग कर रही है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा पर आरोप है कि वे तरह-तरह की वस्तुयें वोट देने वालों को भेंट कर रहे हैं। बीजेपी 500/-रूपये में गेस सिलेन्डर दे रही है। कौन सी पार्टी क्या कैश ग्रान्ट देने का वायदा कर रही है वह पहले के लेखों में स्पष्ट किया जा चुका है और सबको विदित भी है। प्रश्न एक ही है कहां से पैसा आयेगा? यह स्वीकार तथ्य है कि इन्कम से अधिक सब्सिडी व कैश ग्रान्ट (फ्रीब्रीज) पर खर्चा है। राज्य कर्जे के बोझ से डूब जावेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने एआई बुनियादी सुविधाओं पर 50,000/- करोड़ डालर निवेश की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने नई कम्पनी बनाने की पहल की है। स्टारगेट तय करेगा नई तकनीकी का भविष्य। एआई के विकास के अमरीका ने प्रतिस्पर्धा का एक नया मॉडल तैयार किया है। चीन भी इस होड़ में पीछे नहीं है। भारत को भी इसी स्तर पर आगे बढ़ना होगा, उसे भी बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी होगी। भारत के सामने चुनौती है कि वह 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं और शत्रुओं की भी कमी नहीं है। हमारे सामने महिला सशक्तिकरण का ध्येय पहले ही से प्राथमिकता लिये हुये है। दिल्ली का चुनाव बीजेपी व कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है।

चुनाव के समय मतदाताओं को रिझाने के लिये, उनका वोट प्राप्त करने के हेतु फ्रीबीज का सहारा लिया जाता है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, जहां अपेक्षा की जाती है कि चुनाव सात्विक हो और चुनाव अपराध घटित न हो। चुनाव में मतदान करना संवैधानिक अधिकार है। मतदान कैसे हो इस संबंध में पूरी प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 123 में चुनावों के समय होने वाले भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) को विस्तार के साथ परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण माना जावेगा। इसमें रिश्वतखोरी (Bribe) को परिभाषित किया गया है। 'रिश्वत खोरी' अर्थात् (अ) किसी अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट द्वारा या अभ्यर्थी या उसके इलेक्शन एजेन्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का उपहार, प्रस्ताव, या पारितोषण देने का वायदा, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन गतिविधियों को प्रेरित करना है, जिनका उल्लेख उक्त प्रावधानों में किया गया है। यहां यह लिखना समीचीन होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये तथा देश के लिए चुनाव कानून अलग-अलग हैं। दिल्ली के चुनाव कानून में रिश्वत को उसी प्रकार परिभाषित किया है जैसा जनरल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 123 में किया गया है।

सन् 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एस सुब्रामनियम बालाजी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू में यह निर्णय दिया था कि Bribe (रिश्वत) की परिभाषा में फ्रीबीज (Freebies) का वायदा करना भ्रष्ट आचरण नहीं है। किन्तु 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर पुनः विचार करने के लिये 3 माननीय जजों की खण्डपीठ का गठन करने के निर्देश दिये हैं। इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह फ्रीबीज का विषय विचारणीय है। यह निर्देश 2022 का है, और 2025 आ चुका है तथा 5 फरवरी 2025 को चुनाव भी हो चुके हैं अतः यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर शीघ्र निर्णय हो तो देश हित में होगा। अन्यथा फ्रीबीज के वायदे की घोषणायें केन्द्र व राज्यों को दिवालिया बना देगी और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना असम्भव हो जावेगा। ध्यान रहे तीव्र गति से न्याय प्राप्त करना भी भारतीयों का मूल अधिकार है। यों आसान उपाय धारा 123 ही में समस्या मूलक संशोधन कर किया जा सकता है।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत में मेंटल हेल्थ की भयावह स्थिति

अविनाश जोशी

आज की तेजी से बदलती दुनिया में इंसानों के लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है, ऐसे में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के विश्व के सामने उभर कर आया है। आज पूरी दुनिया में इसके मरीज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एंजायटी डिप्रैशन स्ट्रेस से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में अमूमन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और सही से इसकी पहचान भी नहीं कर पाते हैं और नतीजतन यह एक बड़े नासूर के तौर पे हमारी दैनिक दिनचर्या को तकलीफदेह बना देता है। हालांकि जागरूकता महत्वपूर्ण मुद्दा है। मानसिक स्वास्थ्य का यह विषय विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और अनेक रिसर्च एजेंसियां इस विषय पे काम भी कर रही है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि लोग कैसे सोचते हैं महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसे लक्षण है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि व्यक्ति मेंटल हेल्थ से ग्रसित है जैसे अकेलापन महसूस होना, बार-बार मन में आत्महत्या की भावना आना, बार-बार गुस्सा आना, अपने आप को असहाय निराश समझना, खाने, सोने और बैठने-उठने की आदतों में आमूलचूल बदलाव आना, या हर बात पर भ्रमित रहना।

कहते हैं इंसान अगर अभिव्यक्त हो जाए तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वह ज्यादा अच्छी रहती है। आपने देखा होगा जो लोग पेंटिंग करते हैं या संगीत को अपना एक शौक रखते हैं, कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अन्य लोगों की मेंटल हेल्थ से ज्यादा उचित होती है। अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर फ्रैंक क्लार्क बताते हैं कि जब वह फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे थे तो उसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने योग रनिंग जैसी कई थेरेपी के रास्ते चुने लेकिन जब उन्होंने कविता लिखने के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उनके मूड में बदलाव आ रहा है और उन्होंने अपने आप को अच्छा महसूस किया।

कई अध्ययन बताते हैं कि कोई कलाकृति बनाने या किसी संगीत समारोह में जाने से मानसिक स्वास्थ्य को फायदा मिलता है। कई लोग पेंटिंग करके भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप चित्रकार हो। दक्षता इसका पैमाना नहीं है लेकिन अगर आप चित्र बनाकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो तो आप अपनी मानसिक अवस्था को ठीक कर सकते हो। जिंदगी में कुछ क्षण संगीत को भी दे, संगीत का यंत्र बजाये, संगीत सुनिए-संगीत के बारे में बात कीजिए, इससे भी आपका मानसिक स्वास्थ्य दुरस्त हो सकता है और कविता लिखना या कविता पढ़ना या कविता बोलना इससे तो मानसिक स्वास्थ्य में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है।

मेंटल हेल्थ बहुत कुछ हद तक इंसान की अपनी आदतें एवं जीवनशैली पर भी निर्भर करती है एक सकारात्मक एवं उलझे हुए व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है जिंदगी को बहुत ज्यादा तरकीब से जीने की आदत कई बार हमारी मेंटल हेल्थ को बेतरतीब कर सकती है इसलिए कुछ बाते ईश्वर के हाथ में छोड़ देनी चाहिए एवं समय के साथ आने वाली पीढियां के साथ एवं अगल-बगल के इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आदत डाल लेनी चाहिए।

आज के व्यस्त और भाग दौड़ भरे लाइफस्टाइल में शरीर के साथ-साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। कामकाज और खान-पान के बदलाव का सीधा असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। ऐसे में अपने डेली रूटीन में कुछ बाते शामिल करके आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं बल्कि अपने दिमाग को भी तेज कर सकते हैं एवं स्ट्रेस को भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तौर पर आता है मेडिटेशन या ध्यान, मेंटल हेल्थ को सुधारने का यह एक सबसे प्रभावी तरीका है। आप ध्यान में ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, प्रतिदिन ओम के जाप से आप खुद को पूरा दिन एनर्जेटिक और शांत रख सकते हैं। दरअसल ओम का जाप आपके मन शरीर और आत्मा को काफी प्रभावित करता है, यह आपको नकारात्मक विचारों से बचाता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक व्यायाम इसका सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है अगर हम नियमित तौर पर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे हमारा मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, इससे एंडोर्फिन जो खुशी के स्तर को बढ़ाने वाला हार्मोन है इससे सक्रिय हो जाता है और जिंदगी में सकारात्मकता महसूस होने लगती है। हो सके तो नियमित तौर पर 30 मिनट की वॉक या योग कोई भी एक एक्टिविटी करनी है जिससे आपका मूड भी बेहतर होगा और एनर्जी लेवल भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हेल्दी डाइट यानी कि संतुलित और पोषक आहार दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण घटक का काम करता है। खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बी और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं इस से मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छा रहती है।

आज के युग में स्ट्रेस होना आम बात है जो किसी भी कारण से कभी भी हो सकता है। हालांकि यह लंबे समय तक अगर रहता है तो मानसिक स्थिति को यह डैमेज कर देता है, ऐसे में स्ट्रेस को कम से कम लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। आज के दौर में लाइफ भागदौड़ वाली हो गई है, अधिकतर लोग ऑफिस वर्कलोड, पर्सनल काम, भविष्य की चिंता, बच्चों के बारे में चिंता, बच्चों की शिक्षा की चिंता एवं अनेक प्रकार की अन्य चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति में रहते हैं। यह तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है जो आगे चलकर काफी हानिकारक साबित हो सकता है।

अगर किसी का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है तो उसको भी मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि जब स्ट्रेस होता है तो कुछ सावधानियां भी बरतीं जा सकती है। पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बात करना लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण घटक है और अपने स्वभाव में इसको शामिल करना उतना आसान भी नहीं है।

अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में इसको सम्मिलित कर ले तो बहुत कुछ मुद्दे जिंदगी में सुलझ सकते है। रात को कोशिश कीजिए गहरी और अच्छी नींद लेने की अगर 7 से 8 घंटे की नींद आपके जीवन में रहती है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा परिवार और दोस्तों से बातें करें ताकि जिंदगी की बहुत सारी उलझने जब आप व्यक्त करते हो तो वह सुलझ जाती है और दिल हल्का हो जाता है। जो मोबाइल है ना यह आपके जीवन में तनाव का सबसे बड़ा घटक है, स्क्रीन टाइम को कम करें अगर हो सके तो अपनी जो डेली स्क्रीन टाइम चाहे फोन, टीवी या लैपटॉप उसको कम करें और प्रकृति के साथ समय बिताए, प्रकृति बहुत कुछ चीज जिंदगी में स्वयं स्वयं ही सुलझ देती है।

ऐसा माना जाता है कि सामान्य लोगों के मुकाबले मेंटल हेल्थ से ग्रसित रोगियों की मौत 10 से 20 साल पहले हो जाती है हमारे देश में हर साल 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर आत्महत्या तक का सहारा लेते हैं डिप्रैशन एंजायटी के कारण वर्ल्ड इकॉनमी को हर साल 75 लाख करोड़ का नुकसान होता है दुनिया में हर नो में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है 26 करोड लोग डिप्रेशन का शिकार है और 14 साल की उम्र से ही मेंटल डिसऑर्डर से जूझने लगते हैं।

–अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

भारत का अब तक का सबसे प्रभावशाली बजट - करदाताओं को ऐतिहासिक राहत!

सुनील दत्त गोयल

भारत में आयकर दाताओं के लिए बीते 76 वर्षों में इससे बेहतरीन बजट की उम्मीद शायद ही की जा सकती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1981 में मैंने शेयर बाजार में कारोबार शुरू किया था, उस समय शायद 10,000-12,000 सालाना की आमदनी पर ही कर देय होता था। 2013 में भी केवल 2,00,000 तक की आय पर कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन आज, 2025 में, हम गर्व से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत सरकार ने संपूर्ण परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन करने के बाद 12,00,000 तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है। इसका सीधा असर यह होगा कि लगभग 7 करोड़ लोग आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

12 लाख तक की आमदनी वालों को पूरी तरह कर से मुक्त कर दिया गया है, जबकि 25 लाख तक की आय वालों को भी लगभग 1 लाख की वार्षिक बचत होगी।

बजट का सबसे बड़ा असर - बाजार में पैसा और तेज गति से घूमेगा

यह बचा हुआ धन बाजार में पुनः प्रवाहित होगा और विभिन्न क्षेत्रों में इसका निवेश व उपभोग बढ़ेगा। चाहे वह रियल एस्टेट, टूरिज्म, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग डिपॉजिट, या रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं हों-हर सेक्टर को इसका लाभ मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह तेज होगा और विकास दर को गति मिलेगी।

आयकर विभाग का आकार घटेगा - नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म होगा!

जब 7 करोड़ लोग आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आयकर विभाग के लिए काम कम हो जाएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि आम नागरिक को कर संबंधी झंझटों और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। अब करदाताओं में वे लोग प्रमुख रहेंगे जिनकी सालाना आय 12 लाख से अधिक है, और वे पहले से ही वकीलों और कर विशेषज्ञों की मदद से कर-नियोजन (Tax Planning) करना जानते हैं।

कर सलाहकार की आवश्कता कम होगी

अघोषित आय (Black Money) टैक्स नेट में आएगी - जीडीपी को सीधा फायदा

अपने 45 वर्षों के शेयर बाजार के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पहले जब 50,000 तक कर छूट थी, तो लोग 55,000 की आमदनी दर्शाते थे।

अब, जब 12 लाख तक की आय कर मुक्त है, तो वे लोग भी जो पहले 5-10 लाख की आय दिखाते थे, अब 11-12 लाख तक की आय दिखाने लगेंगे। एसा मेरा मानना है

इससे कर संग्रह बढ़ेगा, क्योंकि अघोषित आय (Black Money) भी अब कर-चक्र में आ जाएगी, जिससे सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान बढ़ेगा।

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी - कलेक्शन 80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है!

शेयर बाजार में बढ़ते वॉल्यूम को देखते हुए मेरा अनुमान है कि STT (Securities Transaction Tax) का संग्रह 75,000-80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।

बजट के बाद निवेश में तेजी आएगी। शेयर बाजार में खुदरा निवेशक की भागीदारी बढ़ेगी। IPOs और स्टार्टअप्स के लिए पैसा जुटाना आसान होगा। बैंकिंग और विदेशी पूंजी - क्या सरकार सस्ते विदेशी ऋण की योजना लाएगी?

इस बजट में मेरी एक उम्मीद थी कि सरकार बैंकों को विदेशी धन संग्रह (Foreign Borrowing) के लिए कोई योजना बनाएगी।

यदि बैंकों को सस्ते ब्याज दरों पर विदेशी ऋण उपलब्ध हो जाए, तो वे भारत में निम्न ब्याज दरों पर कर्ज दे सकेंगे, जिससे फिक्स्ड डिपॉजिट में हो रही कमी को पूरा किया जा सकेगा और निवेश बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान सरकार इस विषय पर अवश्य विचार करेगी।

जीएसटी संग्रह में संभावित वृद्धि

मुझे अनुमान है कि अगले वर्ष जीएसटी संग्रह 30 लाख करोड़ के पार जा सकता है।

इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि महाकुंभ, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मेला, कैला देवी मेला, और अयोध्या, काशी, उज्जैन, महाकाल जैसे तीर्थ स्थलों में बढ़ती यात्रा से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। टूरिज्म में बढ़ोत्तरी सीधे व्यापार और कर संठाह को भी बढ़ावा देगी। पुरानी कर प्रणाली छोड़ें - नई व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद

जो आयकरदाता यह सोच रहे हैं कि सरकार ने पुरानी कर प्रणाली में कोई छूट नहीं दी, उन्हें यह समझना होगा कि सरकार चाहती है कि लोग पुरानी कर प्रणाली को छोड़कर नई कर प्रणाली अपनाएं।

नई कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, और करदाता के लिए अधिक लाभदायक है, जिससे करदाताओं को भी दीर्घकालिक फायदा होगा।

बजट का समग्र प्रभाव

कुल मिलाकर, यह बजट बहुत दूरदर्शी और विकासोन्मुखी है।

लोगों को इसे समझने और धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर है।

भारत में पहली बार सरकार ने शिप बिल्डिंग के लिए भारी निवेश किया है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से लाखों और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम पिछले 10 वर्षों पर नजर डालें, तो भारत ने युद्ध क्षेत्र में हथियारों, खिलौनों, मोबाइल फोन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाया है, जो पहले आयातित हुआ करते थे।

निष्कर्ष– यह बजट करदाताओं, निवेशकों, और आम जनता सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। आयकर छूट और अर्थव्यवस्था में धन के पुनः संचार से देश की जीडीपी में वृद्धि होगी और भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने में मदद मिलेगी।

धन्यवाद,

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक,
इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर, राजस्थान

अनधिकृत रूप से पेड़ों को उखाड़ा, दो जेसीबी जब्त

मसूदा, (निसं)। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की रामगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि में खड़े बम्बूल के पेड़ों को रामगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा जेसीबी चलाकर उखाड़ने के सामने आए मामले के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने दोनों जेसीबी को जप्त कर वन विभाग की मसूदा चौकी में खड़ा करवा दिया।

जानकारी के अनुसार बुधवार को वन विभाग को वन विभाग की भूमि से जेसीबी द्वारा बंबूल के पेड़ उखाड़े जाने की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों जेसीबी को कब्जे में लेकर मसूदा मसूदा स्थित वन विभाग की चौकी में खड़ा करवा दिया।

वन विभाग के अधिकारी वन विभाग की भूमि से बंबूल के पेड़ उखाड़ने के कारण जेसीबी जब्त करने की कार्रवाई करना बताया। वहीं दूसरी ओर कथित आरोपी रामगढ़ सरपंच प्रतिनिधि महावीर प्रसाद बुरड़ ने संबंधित भूमि में खड़े बंबूल को उपखंड अधिकारी की स्वीकृति से उखाड़ने व नीलाम किए जाने एवं नीलामी की राशि को राजकोष में जमा करवाया जाना बताते हुए वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की जेसीबी जब्त करने की कार्रवाई को अवैध एवं अनाधिकृत बताते हुए अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया।

- **कथित आरोपी रामगढ़ सरपंच प्रतिनिधि महावीर प्रसाद बुरड़ ने बंबूल को उपखंड अधिकारी की स्वीकृति से उखाड़ने व नीलाम किए जाने एवं नीलामी की राशि को राजकोष में जमा करवाया जाना बताया**
- **वन विभाग के अधिकारियों ने दोनों जेसीबी को जप्त कर वन विभाग की मसूदा चौकी में खड़ा करवा दिया**

राशिफल शुक्रवार 7 फरवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, रोहिणी नक्षत्र सायं 6:48 तक, ऐन्द्रयन योग सायं 4:16 तक, तैतिल करण प्रातः 10:10 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मिथुन, बुध-मकर, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग और यमघट योग सूर्योदय से सायं 6:40 तक है। रवियोग आज सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। आज गुप्त नवरात्रोत्थापन, गप्त नवरात्रा व्रत पारणा, रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:35 तक, लाभ-अमृत 8:35 से 11:14 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:43 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:13, सूर्यास्त 6:09

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मकर
परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अ